

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग

10-लखनऊ: दिनांक: 28-07-2026

विषय: राहत पोर्टल के संचालन एवं डाटा स्टोरेज हेतु एन०आई०सी०/निक्सी के क्लाउड सर्विसेज के सापेक्ष भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-10112/रा०आ०का०/का०/आई०टी० पत्रा०/26-27 दिनांक 27.05.2026 एवं पत्र सं०-10066/रा०आ०का०/का०/आई०टी० पत्रा०/26-27 दिनांक 14.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र दिनांक 27.05.2025 में की गयी अपेक्षा के क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर आख्या/सूचना उपलब्ध कराते हुए राहत पोर्टल के संचालन एवं डाटा स्टोरेज हेतु क्लाउड होस्टिंग चार्ज के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के सापेक्ष एन०आई०सी०/निक्सी को भुगतान किये जाने हेतु रु० 52,23,255/- की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19.06.2024 एवं 14.05.2026 में प्राप्त संसृति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 एवं 01.07.2026 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत राहत पोर्टल के संचालन एवं डाटा स्टोरेज हेतु क्लाउड होस्टिंग चार्ज के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के सापेक्ष एन०आई०सी०/निक्सी को भुगतान किये जाने हेतु रु० 52,23,255/- (रुपये बावन लाख तेईसी हजार दो सौ पचपन मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ०प्र० के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

नियम व शर्त/प्रतिबंध-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित

करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(6) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1- 11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(10) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 52,23,255/- (रुपये बावन लाख तेईसी हजार दो सौ पचपन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-4 2 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/वी-

1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 28-07-2026
16:38:47

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या:- 644(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

Allocation Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-29/07/2026

प्रेषण संख्या:-

आवंटन आदेश संख्या:-

अनुदान संख्या:-

लेखाशीर्षक:-

43

001-644

51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)

11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01	वर्तमान प्रणामी	5223255 29099031	5223255 29099031
	योग	वर्तमान प्रणामी	5223255 29099031	5223255 29099031

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया बावन लाख तेइस हजार दो सौ पचपन

रूपया दो करोड़ नब्बे लाख नित्यानवे हजार इकतीस

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी